Encl-5.

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक – प0 12–1( )(डायवर्जन)राज/17/ 2442 दिनांक – 19.04.2017

अधीक्षण अभियंता,
जन स्वा0 अभि0 विभाग,
अलवर।

EE (MOW)

विषय – पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग कठूमर के द्वारा तहसील कठूमर के ग्राम सोंखरी में वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत के क्रम में।

TA. SE

संदर्भ – उपखण्ड अधिकारी कठूमर का पत्रांक 1997 दिनांक 20.02.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कठूमर ने पेयजल टंकी निर्माण हेतु ग्राम सोंखरी में वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने के संबंध में प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर निवेदन किया हैं।

अतः उक्त संबंध में दिनांक 18.04.2017 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण, प्रकरण में जारी वन अधिकार प्रमाण पत्र तथा उपखण्ड अधिकारी कठूमर से प्राप्त मूल प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः-यथोपरि।

जिला कलक्टर
अलवर

क्रमांक – प0 12–1( )(डायवर्जन)राज/17/ दिनांक –

प्रतिलिपिः– अधिशाषी अभियंता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, राजगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

जिला कलक्टर
अलवर

No:- SPL-1 Date:- 25/4/17
Copy to E.E. Rajgarh for intimation & Compliance.

अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा० अभि० विभाग
वृत-अलवर (राज)

SA

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ कोड स. 10743

D/Work/ Mishra Letter

Annexure-1

FORM-1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR ALWAR, RAJASTHAN

(for linear projects)

Date. 19.04.2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98/FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that **0.05 Hectares** of forest land proposed to be diverted **to PHED Department for water tank construction in Alwar** District falls within jurisdiction of **village Sonkhari tehsil Kathumar.**

It is certified that:-

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.05 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Right Committee(s) Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure – I to Annexure – III.

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As Above

(Muktanand Agrawal)
District Collector, Alwar

PCA

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड सं. 10/43

पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग कठूमर के द्वारा तहसील कठूमर के ग्राम सोंखरी में वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.04.2017 का कार्यवृत्त।

पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग द्वारा तहसील कठूमर के ग्राम सोंखरी खसरा नम्बर 2578 रकबा 0.05है0 संरक्षित वन भूमि का डायवर्जन प्रस्तावित हैं। उक्त भूमि में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के दावों के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.04.2017 को आहूत हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1. जिला कलक्टर, अलवर।
2. उप वन संरक्षक, अलवर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, अलवर।
4. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
5. उपखण्ड अधिकारी, कठूमर।

उक्त प्रकरण में जो उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.12.2016 को आहूत हुई थी उसमें उपस्थित सदस्यों के ग्राम सोंखरी द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 02.12.2016 को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गई।

तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई आपत्ति उपखण्ड स्तरीय समिति को प्राप्त नही हुई एवं इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से कोई भी व्यक्ति क्षुब्ध नही हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में जिला स्तरीय समिति के समक्ष 60 दिनों तक उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्व कोई भी आपत्ति प्राप्त होने की सम्भावना शून्य हैं। अतः ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 02.12.2016 से सहमत हैं एवं जिला कलक्टर कार्यालय से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति प्रदान करती हैं।

उप वन संरक्षक अलवर	अधीक्षण अभियंता जन0स्वा0अभि0 विभाग अलवर	अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर 18/4/17	उपखण्ड अधिकारी कठूमर 18/4/17	जिला कलक्टर अलवर

PCA

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
... कोड स. 10743

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर जिला अलवर

क्रमांकः– 1997 दिनांकः–01/12/16

27047
21/12/16

2796
23/12/16

श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय,
अलवर।

विशयः– पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग कठूमर के द्वारा तहसील कठूमर के ग्राम सोंखरी में वन भूमि के डायवर्जन हेतु वन अधिनियम 2006 के तहसील स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8/12/16 का कार्यवृत्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम में।

21.12.16

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सोंखरी में दिनांक 2.12.16 को एवं ग्राम ...... में दिनांक 2-12-16 को ग्राम सभाओं द्वारा चयनित कमेटियों की मिटिंग कराई गई जिसमें सभी कमेटियों पर पेयजल स्कीम निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है, सर्वसम्मति से पारित कियें है।

ग्राम कमेटियों के प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 8/12/16 को तहसील स्तरीय कमेटी की मिटिंग बुलाई गई सभी सदस्यों ने परियोजना के निर्माण के लिए सहमति प्रदान की है। अतः ग्राम कमेटियों से प्राप्त प्रस्ताव ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किये जा रहे है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

क्रमांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड राजगढ को सूचनार्थ।

PCA

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड सं. 107

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग द्वारा जनपद अलवर तहसील कठूमर ग्राम सोंखरी वन क्षेत्र सोंखरी स्थित वन भूमि के डायवर्जन हेतु वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत तहसील स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8/12/16 का कार्यवृत्त।

पेयजल टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग द्वारा जनपद अलवर तहसील कठूमर ग्राम सोंखरी स्थित (खसरा नम्बर 2178 रकबा 0.05 है0) सनरक्षित वन–भूमि का डायवर्जन प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण के संबन्ध में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा तहसील स्तरीय एवं तहसील स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उपखण्ड अधिकारी स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8/12/16 को आहूत हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1. उपखण्ड अधिकारी कठूमर
2. प्रधान पंचायत समिति कठूमर
3. तहसीलदार कठूमर
4. विकास अधिकारी पं0 स0 कठूमर
5. रेन्जर वन विभाग लक्ष्मनगढ

ग्राम सभा सोंखरी द्वारा दिनांक 2-12-16 को खुली बैठक करके उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव को पारित किया गया है। ग्राम सभा की वैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया गया कि वनभूमि के डायवर्जन हेतु पारित प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में 60 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक 3-2-17 तक जमा करायी जा सकती है। इस संबन्ध में उपखण्ड अधिकारी कठूमर के कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में यह समिति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुये इस उपखण्ड अधिकारी स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान करती है।

उपखण्ड अधिकारी	प्रधान	तहसीलदार	विकास अधिकारी	रेन्जर वन विभाग
कठूमर	पं0 स0 कठूमर	कठूमर	पं0 स0 कठूमर	लक्ष्मनगढ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज0

PCA

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ कोड सं. 10143

कार्यालय
ग्राम सभा/पंचायत
तहसील–कठूमर जिला–अलवर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

जिला अलवर ग्राम सोंखरी मे पेयजल सप्लाई हेतु टंकी के निर्माण हेतु संरक्षित वनभूमि का जलदाय विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत सोंखरी अंतर्गत ग्राम सोंखरी द्वारा ग्राम सभ बैठक में पेयजल टंकी के निर्माण के लिये वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फोरेस्ट राईट एक्ट(एफ0आर0ए) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर कृशि आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृशि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत सोंखरी के द्वारा जलदाय विभाग को पेयजल टंकी हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नही है।

ग्राम सभा की सिफारि ा पर फोरेस्ट राईट एक्ट(एफ0आर0ए) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संरक्षित वनभूमि जलदाय विभाग कठूमर को इस पंचायत की सीमान्तर्गत पेयजल टंकी के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ख. नं. 2578/2013/32.24 हैक्टेयर किस्म गै.मु. पहाड़ (वन विभाग) के अन्तर्गत रिकॉर्ड दर्ज है।

हस्ताक्षर पटवारी [signature] 2.12.16

सरपंच [signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत सोंखरी
ग्राम पंचायत सौंखरी
पं स कठूमर (अलवर)

[signature]
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ़ कोड न. 10743

ग्राम सभा क्रमांक 2 पर अनुमोदन

एजेण्डा

समस्त सदस्यगण ग्राम सभा सोंखरी को सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की एक आव यक बैठक दिनांक ~~5.12.16~~ 2-12-16 दिन सोमवार को अटल सेवा केन्द्र ग्राम सोंखरी में प्रातः 10 बजे आहूत की गई है।

बैठक की अध्यक्षता ग्राम सरपंच सोंखरी करेंगे। समय से पहुँचकर बैठक को सफल बनाए।

बिचारणीय बिन्दुः–

1. जलदाय विभाग द्वारा ग्राम में पेयजल सप्लाई हेतु टैंक के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में वन भूमि जाने पर उसमें आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य/आवासीय या अन्य कार्य हेतु कब्जा के सम्बन्ध में।

2/12/16
हस्ताक्षर पटवारी

ओमवती
सरपंच सरपंच
ग्राम पंचायत सोंखरी ग्राम पंचायत सोंखरी
पं. स. कठूमर (अलवर)

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ कोड स. 10743

मुनादी

ग्राम सभा क्र.सं. 2 पट अनुमोदन

ग्राम सोंखरी के समस्त ग्रामवासियों को डुग्गी पीट--2 कर सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा सोंखरी की एक आव यक बैठक दिनांक ~~5.12.16~~ 2-12-16 को ग्राम सोंखरी के अटल सेवा केन्द्र में प्रातः 10.00 बजे आहुत की जानी है।

बैठक की अध्यक्षता ग्राम सरपंच सोंखरी करेंगे। समय से पहुँच कर बैठक को सफल बनायें।

बिचारणीय बिन्दुः--

1. जलदाय विभाग द्वारा ग्राम में पेयजल सप्लाई हेतु टैंक के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में वन भूमि जाने पर उसमें आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य/आवासीय या अन्य कार्य हेतु कब्जा के सम्बन्ध में।

2/12/16
हस्ताक्षर पटवारी

सरपंच ओमप्रकाश
ग्राम पंचायत सोंखरी

सरपंच
ग्राम पंचायत सौंखरी
पं स. कठूमर (अलवर)

PCA

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ कोड स. 10743

Page:
Date: / /

प्रस्ताव 1 गत ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही को पढ़कर कर सुनाया गया ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से अनुमोदित किया गया।

प्र.सं. 2:- सरपंच श्रीमति ओमवती देवी ने अवगत कराया ग्राम सौंखरी के समस्त ग्रामवासियों को पूर्व ही पीट-पीट कर सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा सौंखरी की एक आवश्यक बैठक दिनांक 2-12-16 को ग्राम सौंखरी में अटल सेवा केन्द्र में प्रात 10.00 बजे रखी गई थी विचारणीय बिन्दु:- 1. जलदाय विभाग द्वारा ग्राम में पेयजल सप्लाई हेतु टैंक के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के बाद भूमि नापे पर उसपे अतिक्रमी का कब्जा [illegible] कार्य / आवंटन या अन्य कार्य हेतु कब्जा के संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पास किया जाता है।

ओम प्रकाश
देवी सहाय
खातून वार्डपंच
नवाबखां
वसीम खां
मुकेश
बन्नूसिंह
विक्रमसिंह
नरेश
प्रधान
विश्राम
रूपराम
ओमवती
रघुनाथराम
[illegible]
[illegible]
सोनी राम
अजय
महेन्द्र [illegible]
सोहिया
पूर्णा
पप्पू
[illegible]
विजय

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड राजगढ कोड स. 10743